न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 27/2020

1. श्रीमती मीना उर्फ नेना पत्नि स्व0 श्री रामचरण बैरवा उम्र 35 वर्ष, जाति चमार,
2. कुमारी अनिता उम्र 13 वर्ष, पुत्री स्व0 रामचरण
3. राजकुमार उम्र 11 वर्ष पुत्र स्व0 रामचरण
4. कुमारी मनीषा उम्र 9 वर्ष पुत्री स्व0 रामचरण

समस्त नाबालिगान जरिये वलीया माता मीना देवी उर्फ नैना पत्नि स्व0 श्री रामचरण बैरवा, समस्त जाति चमार, निवासीगण ग्राम जयजसपुरा, तहसील सांगानेर हाल निवासी 59, गणेश नगर, रामनगर, सोडाला, जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र स्व0 गंगाराम बैरवा (मृतक दौराने दावा)

1/1 मूली पत्नि स्व0 रामनारायण

1/2 सुरेश पुत्र स्व0 रामनारायण

1/3 दिनेश पुत्र स्व0 रामनारायण

1/4 राजेश पुत्र स्व0 रामनारायण

समस्त जातियान बैरवा निवासी ग्राम जयजसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नंबर 59, गणेश पथ, राम नगर, सोडाला, जयपुर।

1/5 श्रीमती संतोष पत्नि शंकर लाल पुत्री स्वत्र रामनारायण निवासी ग्राम रामपुरा ऊँती, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. कैलाश पुत्र प्रभू बैरवा
3. बन्ना लाल पुत्र
4. मु0 मनफूली बेवा स्व0 प्रभू बैरवा
5. समुन ... प्रभू
6. सूनिता नाबालिग... तहसील सांगानेर जिला

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जयजस... जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

7. कजोड़ पुत्र रामदेव बलाई
8. छोटू पुत्र रामदेव बलाई
9. श्रीमती लक्ष्मा देवी पत्नि नाथू

समस्त जाति बलाई निवासी सूरतपूरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10. सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर तहसील, सांगानेर जिला जयपुर।
11. रामपाल पुत्र श्री चन्दाराम जाति रैगर निवासी ग्राम हरबंसपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा हक खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती
एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 27.05.2022

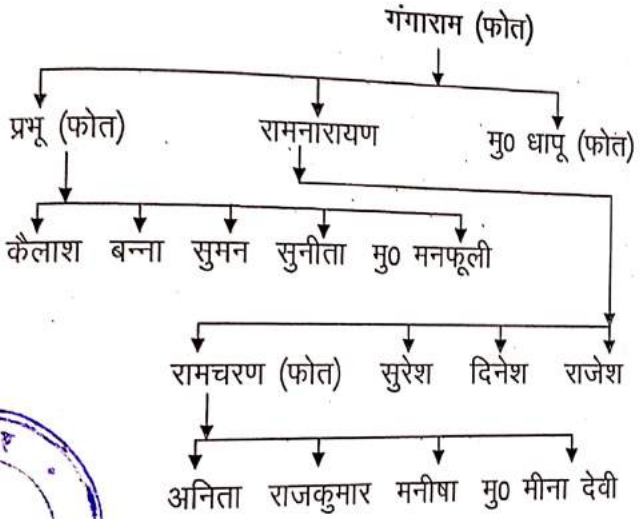

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 एक ही कुटुम्ब एवं संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

उक्त सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज गंगाराम द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति कृषि भूमि वाकै ग्राम जयजसपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हैं गं[illegible]त्यु के बाद विरासत में प्रभू, रामनारायण व मु0 धापू[illegible] के नाम नामान्त[illegible] विरासत से कृषि भूमि आयी। धापू देवी को देहान्त [illegible] जाने पर प्रभु के वारिसान [illegible]ण के नाम बराबर–बराबर हक हिस्से में भूमि आयी। कृषि भूमि [illegible] विवरण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम– जयजसपुरा, पटवारी हल्का–अजयराजपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	खातेदार का नाम
40	264 267 279 280 281 286	0.06 है0 0.02 है0 0.24 है0 0.34 है0 0.31 है0 0.26 है0	लक्ष्मीनारायण प्रभू रामदवे हि0 1/2, प्रभू रामनारायण पि. गंगाराम हि. 1/2, कोम बैरवा सा0देह खातेदार ना.सं. 30 व 31 के द्वारा लक्षमा पत्नि नाथू, कजोड, छोटू पि0 रामदेव बलाई के नाम दर्ज हुई।
कुल	6	1.23 है0	
38	87/255 89 128/312 145 268 282 283	0.09 है0, 1.16 है0, 0.04 है0 0.78 है0 0.15 है0, 0.62 है0 0.30 है0	रामनारायण पि0 प्रभू बैरवा सा0देह खातेदार ना.सं. 30 व 31 के द्वारा खं. नं. 268 लक्षमा पत्नि नाथू, कजोड, छोटू पि0 रामदेव के नाम खातेदारी दर्ज हुई।
कुल	7	3.14 है0	

वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रवधू अर्थात स्व0 रामचरण की विधवा औरत है तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 4 पौत्र व पौत्रियॉ है, प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 वादीया के देवर है तथा वादीगण 2 लगायत 4 के चाचा है, जिनका संयुक्त हिन्दू परिवार है। प्रतिवादी संख्या 1 जयपुर में रामनगर सोडाला में मकान बनाकर रहता है जहॉ छत डालने व बली फन्टे किराये पर देने का अच्छा धन्धा करता है। वादिया के पति रामचरण पुत्र रामनारायण बैरवा का देहान्त दिनांक 25.02.2005 को हो गया। वादीया के पति की मृत्यु के उपरांत वादीया के सास–ससुर व देवरों ने वादिया को अपने साथ [illegible] तथा अलग कर दिया। वादिया ने विधवा [illegible] कृषि भूमि [illegible] द्वारा [illegible] हिस्सा लेकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया तथा मजदूरी कर अपने [illegible] का पालन–पोषण करने लगी। वादीया को कभी गांव जयजसपुरा [illegible] देते थे विधवा पेंशन भी वादिया के खाते में आ जाती थी इसी से नाराज होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 नाराज रहने लगे तथा वादिया को उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत् की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Scanned with OKEN Scanner

जाने कार्यवाही से अन्जान रखने लगे। विवादग्रस्त भूमि पैतृक एवं मौरूसी सम्पति है जिसमें वादीया का हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्से की भूमि में 1/5 हिस्सा निहित है वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 40 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा था तो वादी का हिस्सा 1/20 हुआ अर्थात 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/4 है। इसी प्रकार खाता संख्या 38 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 में से वादीया का 1/5 अर्थात हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/2 निहित है। वादीयान् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने हक हिस्से की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है तथा अपने हक हिस्से की घोषणा खातेदारी तथा उसकी सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। वादिया दिनांक 05.10.2009 को अपने ग्राम जयजसपुरा में अपनी हक–हिस्से व खातेदारी की भूमि को संभालने गयी तो जानकारी हुई की प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में से विना आवश्यकता व विना किसी कारण प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 16 को विना अधिकार खसरा नंबर 268 व 79 में निहित सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया जबकि वादिया के पास उक्त भूमि के अलावा उसके पति ने अन्य कोई कृषि भूमि नही छोडी थी वादिया एवं वादिया के पति रामचरण के वादी सं. 2, 3 व 4 जायन्दा संतान है जो अभी नावालिक है तथा वादी संख्या 3 कतई विकलांग है जिनके हक–हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि में से खसरा नंबर 268 व 79 की भूमि को बेचान करने के संबंध में पूछा तो उन्होनें धमकी दी कि सारी जमीन मेरे नाम से है और मैं मेरे नाम की सारी जमीन अपने व अपने बच्चों सुरेश, दिनेश व राजेश के नाम बैंक में रूपयों की एफडी करवाउंगा या जयपुर में सम्पत्ति खरीदूंगा तूझे व तेरी औलाद को फूटी कौडी भी नहीं दूंगा क्योकि मुझे तुझ पर कोई भरोसा नही है। तब वादीया ने कहा कि आप मेरे नाम जमीन मत करवाओ मेरी औलाद जो आपके पौत्र–पौत्रियां है उनके नाम स्व0 रामचरण के हिस्से की भूमि व रूपया नाम करवा दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है [illegible] करके अपना जीवनयापन कर लूंगी तो प्रतिवादीगण 1 ता 4 गुस्से में [illegible] हुए धमकी दी कि अब [illegible] हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हें जो भी कार्यवाहीं करनी हो कर लेना जिससे [illegible] उत्पन्न होकर दावा घोषणा, हक–खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणा हक खातेदारी इस अमर की सादर फरमायी जावे कि वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

5

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श संख्या 1 जमाबंदी संवत् 2065–68 से स्पष्ट है कि खाता संख्या नया 38 में
प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/3 नियत था। जिसमें
से उक्त खाते में सह–खातेदार धापु बेवा गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रदर्श–3
जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 से स्पष्ट है कि खाता संख्या नया 40 में प्रतिवादी
संख्या 1 रामनारायण का 1/4 हिस्सा नियत था। प्रदर्श–6 फार्म ओ.ए.पी. 5
विधवा पेशन फॉर्म, से स्पष्ट है कि वादीया संख्या 1 स्व0 श्री रामचरण बैरवा की
पत्नी व प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण की पुत्रवधू है। प्रदर्श–7 से स्पष्ट है कि
वादीया संख्या 1 स्व0 रामचरण की पत्नी व वादी संख्या 2 से 4 स्व0 रामचरण
के पुत्र पुत्रीया व प्रतिवादी संख्या 1 रामनाराण के पौत्र व पौत्रियां है। प्रदर्श–8
से स्पष्ट है कि रामचरण बैरवा पुत्र राम नारायण बैरवा की मृत्यु दिनांक
25.02.2005 को हो चुकी है। प्रदर्श–9 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1
रामनारायण पुत्र गंगाराम बैरवा की मृत्यु दिनांक 06.02.2015 को हो चुकी है।

उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादिया संख्या 1 स्व0 रामचरण बैरवा
की पत्नी व प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण की पुत्रवधू है व प्रतिवादी संख्या 2 से
4 स्व0 रामचरण बैरवा की पुत्र व पुत्रीया व प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण के
पौत्र व पौत्रिया है। तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदीया सम्वत् 2011
से 2030 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी संख्या 2
ता 4 के पूर्वजो व वादी संख्या 1 के पति की पैतृक आराजीयात है जिसमें
वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा निहित है।
विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादिया के ससुर है ने वादग्रस्त
आराजीयात में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 को रामपाल पुत्र
बन्नाराम को कर दिया। लेकिन प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर दिनांक
14.10.2009 को मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित
किये गये थे जो लगातार आदिनांक तक यथावत है। तथा प्रकरण में प्रतिवादी
संख्या 1 की तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.07.2011 को जरिये
अधिवक्ता उपस्थित आये। लेकिन न्यायालय के स्थगन के बावजूद प्रतिवादी
संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से स... प्रतिवादी संख्या 11
को सन् 2013 में कर दिया। चूंकि उक्त बेचान वादग्रस्त आराजीयात में स्थगन
के बावजूद किया गया है जिस पर ... नहीं है। उक्त
बेचान वादीगण के अधिकारो के प्रति शून्य है ... से भी प्रतिवादीगण द्वारा
वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वि...
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वि...

Scanned with OKEN Scanner

किये है ना ही साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहा है। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 264, 267, 279, 280, 281, 286 कुल किता 6 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम जयजसपुरा पटवार क्षैत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादीगण को 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से का व खसरा नंबर 87/255, 89, 128/312, 145, 282, 283 कुल किता 6 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर ग्राम जयजसपुरा पटवार क्षैत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्मा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम जयपुर ब

इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

मीना **बनाम** रामनारायण वगै.

दावा बाबत् घोषणा हक खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/27/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 264, 267, 279, 280, 281, 286 कुल किता 6 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम जयजसपुरा पटवार क्षेत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादीगण को 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से का व खसरा नंबर 87/255, 89, 128/312, 145, 282, 283 कुल किता 6 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर ग्राम जयजसपुरा पटवार क्षेत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ....X.......... मुबलिग ....X.......... बाबत् ....X.......... .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ....X.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.05.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner